कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार,पटना

का.आ.सं. हि.अ./ले.प./प्रहरी34/अंक 67/2022-23/सी-46 दिनांक 06.05.2022

कार्यालय आदेश

विषयः कार्यालय की गृह पत्रिका (ई-पत्रिका) 'प्रहरी' के 67वें अंक के प्रकाशनार्थ रचनाओं हेतु आमंत्रण ।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.04.2022 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक में महालेखाकार महोदय द्वारा कार्यालय की ई-पत्रिका प्रहरी के त्रैमासिक प्रकाशन हेतु प्रयास किये जाने का निदेश दिया गया । तदनुसार इस तिमाही (अप्रैल-जून 2021) में प्रहरी के अगले अंक (67वाँ) का प्रकाशन किया जाना अपेक्षित है ।

उपरोक्त आदेश के अनुपालनार्थ इस कार्यालय की ई-पत्रिका प्रहरी के 67वें अंक हेतु कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों से हिंदी में स्वरचित आलेख, निबंध, कहानी, कविता, लघुकथा, हास्य व्यंग्य, संस्मरण, यात्रा वृतान्त आदि आमंत्रित हैं । इस कार्यालय के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी भी अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर सकते हैं । विभागीय विषयों, राजभाषा एवं कार्यालय के कार्यकलापों से संबंधित रचनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ।

रचनाएँ सादे कागज पर सुस्पष्ट टंकित/ लिखित होनी चाहिए । रचना के मौलिक होने का प्रमाण-पत्र, रचनाकार का नाम, पदनाम, एक पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाईल नं., एम्प्लाई आईडी (सेवानिवृत्त कार्मिकों का बैंक खाता सं. एवं आईएफएससी कोड) के उल्लेख के साथ दिनांक 31.05.2022 तक मनोज कुमार नं. 1, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी (सम्पादक 'प्रहरी') (मोबाईल/व्हाट्सऐप नं. 943142155) को या हिन्दी अनुभाग को प्रेषित की जा सकती है। रचनाएं krvikash1.bih.sca@cag.gov.in या shankaranj.bih.au@cag.gov.in पर इमेल के माध्यम से भी प्रेषित की जा सकती है।

कार्यालयीन पत्रिका के प्रकाशन में कार्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी की सहभागिता अपेक्षित है ।

अतः वरीय लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों से अनुरोध है कि स्वयं एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को पत्रिका प्रकाशन के सहयोग हेतु प्रेरित करें एवं अनिवार्य रुप से अवगत करायें।

हस्ता./-

वरीय उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार (ले.प.) बिहार का सचिवालय
2. वरीय उप महालेखाकार (प्रशासन) का सचिवालय
3. सभी उपमहालेखाकार के सचिवालय
4. सभी शाखा अधिकारी (इमेल द्वारा)
5. सूचना पट्ट/कार्यालय की वेबसाईट

06/05/2022

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी/हिन्दी

कार्यालय:महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार,पटना

का.आ.सं. हि.अ./ले.प./प्रहरी34/अंक 67/2022-23/सी-90 दिनांक:9.06.2022

अनुस्मार

विषयः कार्यालय की गृह पत्रिका (ई-पत्रिका) के प्रकाशन के संबंध में। 'प्रहरी' के 67वें अंक के प्रकाशनार्थ रचनाओं को प्रेषित करने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषय से संबंधित का.आ.सं. हि.अ./ले.प./प्रहरी34/अंक 67/2022-23/सी-46 दिनांक:06.05.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लें। उक्त कार्यालय आदेश के माध्यम से 'प्रहरी' के 67वें अंक में प्रकाशन हेतु कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों से हिंदी में स्वरचित आलेख, निबंध, कहानी, कविता, लघुकथा, हास्य व्यंग्य, संस्मरण, यात्रा वृतान्त आदि आमंत्रित किये गये थे जिसकी अंतिम तिथि 31.05.2022 निर्धारित की गयी थी। परंतु अभी भी पत्रिका के प्रकाशन हेतु पर्याप्त रचनाएं प्राप्त नहीं हो सकी हैं।

ध्यातव्य है कि दिनांक 29/04/2022 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में महालेखाकार महोदय द्वारा पत्रिका के त्रैमासिक प्रकाशन हेतु प्रयास किए जाने का निदेश दिया गया था। इस के अनुपालन हेतु कार्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों का रचनात्मक सहयोग अपेक्षित है। अतः सभी शाखा/अनुभाग के अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को पत्रिका में रचना भेजने हेतु प्रेरित करते हुए दिनांक 15/06/2022 तक रचनाएं भिजवाने का कष्ट करें।

अधिकारी/ कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ यथा मैट्रिक/ इंटरमीडियट की परीक्षा में 90% से अधिक अंक/ विश्वविद्यालयों में गोल्ड मेडल/ आई.आई.टी./ मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में सफलता/ राष्ट्रीय स्तर/ राज्य स्तर पर खेलकुद में प्रतिनिधित्व आदि से संबंधित सूचनाएं (प्रमाणसहित) भी पत्रिका में प्रकाशन हेतु प्रेषित कर सकते हैं। यद्यपि पत्रिका में इन्हें शामिल किए जाने का अंतिम निर्णय संपादक मंडल का होगा।

उल्लेखनीय है कि पत्रिका प्रकाशन एक सतत प्रक्रिया है। इस कार्यालय के अतिरिक्त मुख्यालय एवं नराकास की पत्रिकाओं हेतु भी समय-समय पर रचनाओं की मांग की जाती है। अतः समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपनी रचनाएं सुविधा के अनुरूप हिंदी अनुभाग को प्रेषित कर सकते हैं ताकि समय-समय पर प्रकाशित पत्रिकाओं में उन्हें सम्मिलित किया जा सके।

09/06/2022

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ हिंदी कक्ष

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार (ले.प.) बिहार, पटना का सचिवालय
2. उप महालेखाकार (प्रशासन) का सचिवालय
3. सभी उपमहालेखाकार के सचिवालय
4. सभी शाखा/अनुभाग अधिकारी (इमेल द्वारा)
5. समस्त सूचना पट्ट/कार्यालय की वेबसाईट